



# राष्ट्रीय आयुष मिशन

## औषधीय पादप प्रभाग



**राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड**

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

## राष्ट्रीय आयुष मिशन

### औषधीय पादप प्रभाग

भारत की आयुर्वेदिक औषधि परंपरा से संबंधित पारंपरिक औषधि बाजारों की मांग पूरा करने में औषधि एवं सुगंधि पादपों (एमएपी) का बड़ा महत्व रहा है। विभिन्न किस्म की देसी दवाओं के साथ-साथ पूरक या वैकल्पिक दवाओं में भी इनका विभिन्न रूपों में प्रयोग हो रहा है जिससे आयुर्वेद में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है।

औषधि एवं सुगंधि पादपों में बढ़ती अभिरुचि के परिणाम स्वरूप इससे गाँव-देहात में आमदनी के नए रास्ते सामने दिख रहे हैं। चूंकि बहुत सारे एमएपी जंगलों से प्राप्त होते हैं इसलिए एमएपी को एकत्र करना और बेचना गाँव-देहात की बेहद गरीब आबादी के लिए नकदी आमदनी बढ़ाने का स्रोत बन गया है।

एमएपी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 24 नवंबर, 2000 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड (एनएमपीबी) का गठन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक सरकारी प्रस्ताव से गठित इस बोर्ड का लक्ष्य औषधि पादपों से संबद्ध सभी मामलों में तालमेल कायम रखना है। हाल में सन् 2014 में एक स्वतंत्र आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और एनएमपीबी इसके अंतर्गत कार्य करते हुए औषधि पादपों की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है। इसका सहयोगी है केंद्र सरकार की वित्त पोषित स्कीम – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) जिसका शुभारंभ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने किया।

एनएएम प्रोग्राम के तहत औषधि पादप प्रभाग को कार्यरूप देने में उत्पादन, कटनी के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि से अंत तक के कार्यों पर ध्यान देने का दृष्टिकोण है। इस उद्देश्य से संबद्ध राज्यों के उपयुक्त जिलों का चयन किया गया है जिनके अंतर्गत पहचान की गई कुछ खास आबादियों (क्लस्टर्स) में जहाँ औषधि पादपों के उत्पादन की प्रबल संभावना है इस कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इस उद्देश्य से आवश्यक उत्तम कृषि पद्धतियाँ (जीएपी) अपनाने के लिए पहले उत्तम किस्म की वृक्षारोपण सामग्रियाँ दी जाएंगी और बाद में पैदावार की सही व्यवस्था की जाएगी, जैसे, सही संचय, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग। इस तरह आयुष उद्योग की मांग पूरी होगी।

## क्रियान्वयन की प्रक्रिया


आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियों, जैसे, राज्य उद्यान/कृषि निदेशालय या राज्य औषधि पादप बोर्ड, जिसे "राज्य मिशन" ("स्टेट मिशन") कहते हैं, के माध्यम से सभी राज्यों/यूटी में एनएएम के अंतर्गत औषधि पादप प्रभाग को कार्यरूप दे रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से संबद्ध औषधि पादप उपजाने और उत्पाद को बेचने के इच्छुक उत्पादक/किसान एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय से निम्नलिखित घटकों के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं:

- क) नर्सरी का विकास – मॉडल (4 हेक्टेयर) और छोटे (1 हेक्टेयर)।
- ख) औषधि पादपों की खेती के लिए खेती खर्च के 75%, 50% एवं 30% के दर से अनुदान सहायता।
- ग) बीज/जर्मप्लाज़्म सेंटर की स्थापना, जैविक/जीएपी प्रमाणन।
- घ) कटाई के बाद की प्रबंधन संग्रह केंद्र, सुखाने के शेड और भंडारण के लिए गोदाम।
- ङ) प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन प्रसंस्करण इकाई, मार्केटिंग की बुनियादी व्यवस्था।

\* नोट: ऊपर लिखित घटकों के लिए सहायता के मानक (टेबल-III) एवं (टेबल-IV) में दिए गए हैं

एनएमपीबी ने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त 140 औषधि पादपों को चिन्हित किया है और इन में से 95 औषधि पादपों को प्राथमिकता दी है और इन प्रजातियों (टेबल-I) के लिए ही राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों (टेबल-II) के माध्यम से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

क्रियान्वयन की दिशा में ऊपर के सभी घटकों के मददेनजर किसानों/उत्पादकों को राज्य मिशन/राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को बताना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं। राज्य क्रियान्वयन अभिकरण राज्य विशेष के लिए वर्ष विशेष की एक वार्षिक कार्य योजना बनाएंगे। इसमें उन जिलों पर विचार किया जाएगा जिनमें किसान/उत्पादन की कार्य करने की योजना है। अभिकरण को यह योजना राज्य आयुष सोसायटी के माध्यम से एनएएम निदेशालय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।



निधि प्रवाह तंत्र इस प्रकार होगा



राज्य क्रियान्वयन अभिकरण विभिन्न जिलों के उत्पादकों/किसानों के माध्यम से स्वीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह वर्ष विशेष की प्रत्येक तिमाही के लिए प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। एनएमपीबी कार्यक्रम पर अपने अधिकारियों/निरीक्षण दल के माध्यम से विभिन्न अंतराल पर निगरानी रखेगा।

### टेबल – 1 : प्राथमिकता प्राप्त 95 औषधि पादप प्रजातियों की सूची

30 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित पौधे			
क्र. सं.	वनस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	प्रति एकड़ लागत (रूपयों में)
1	अब्रस प्रीकेटीरीयस	चिरमटी, चिन्नोटी, गुडुमणि	26880.15
2	अक्रस केलेमस	वच	36602.5
3	एडेटोडा जेलेनिका	अडूसा	10424.15
4	एलोय वीरा (लिन.) बर्न	घृत कुमारी	24889.7
5	अल्पाइना केलकराटा	छोटा गलंगल	33146.74
6	अल्पाइना मेलंगा	बड़ा गलंगल	28589.88
7	अन्ड्रोग्राफीस पेनीकुलाटा (लिन.)	कालमेघ	14641
8	आरटीमिसिया एनुआ (लिन.)	आर्टेमिशिया	19496.73
9	एसपेरेगस रेसीमोसस	शतावरी	36602.5
10	एजार्डीकटा इन्डीका	नीम	21961.5
11	बेकोपा मोनीराइ	ब्राम्ही	23425.6
12	बरजीनिया सीलीएटा	पासानभेद	40073.99
13	बोहराविया डीफयूजा	पुर्नवा	17569.2
14	केसिया अगस्टीफोलिया वहल	सनाय	14641
15	सीसलपीनिया सेपन	पतंग	31360.78
16	केथेरेन्थस रोजियस	सदाबहार	14641
17	सीलासट्रस पेनीकुलाटा	मलकागंज, ज्योतिस्मति, बवन्ति बीज	13000.24
18	सेन्टेला एसीयेटिका (लिन.) अरबन	मडूकपर्णी	23425.6
19	क्लोरोफाइटम बोरीवीलिनम संत.	श्वेत मुसली	183012.5
20	सीन्नामोमम वेरम	दालचजीनी	45387.1
	सीन्नामोमम टमाला और	तेजपात	26018.63
	सीन्नामोमम कैम्फोरा	कपूर	
21	क्लीरोडेन्ड्रम फलोमोइडीस	अर्णी	18827.6
22	क्लाइटोरिया टरनेसिया एल.(ब्लू एंड ह्वाइट वेराइटी)	अपराजिता	18827.6
23	कोलियस बारबेटस बेंथ सिन कोलियस फोरसकोलाई	पत्थरचूर	25182.52

24	कनवलवुलस माइक्रोफीलस	शंखपुष्पी	19496.73
25	क्रीप्टोलेपिस बुचनानी रोइम एंड स्कल्ट	कृष्णसरिवा	24923.58
26	डायोसकोरिया बल्बीफेरा (लिन.)	रोतालू, गेथी	36602.5
27	एकलिप्टा एल्बा	केसूरिया, भंगारू, भगरा, केसूती, अजगरा, भृंगराज, केसर राज, सुमिलका, सुपर्ण, वीड यम	14113.44
28	एमबलिया राइबस (बर्म.एफ.)	वाई विडंग	24889.7
29	एम्बलीका ओफीनेलिस गर्टन	आंवला	38066.6
30	गारसेनिया इन्डीका च्वाइसी	कोकुम	36602.5
31	जिमनेमा सिल्वेस्ट्रीस आर.बर.	गुडमार	14641
32	हार्डिसियम स्पाईकेट्रम बच-हेम.एकस स्मथ	कपूर कचरी	23425.6
33	हेमीडसमस इन्डीकस आर.बर.	अनंतमूल, इंडियान, सरसापरेला	20497.4
34	होलोराइहना एन्टीडाइसेन्टीरीका वाल.	कुची, कुट्ज	10775.05
35	आइपोमिया टरपेथम आर. वर.	त्रिवृत्त	15606.58
36	केम्पफेरिया गेलंगा	इंडियन क्रोकस	26704.7
37	लेपीडियम सेटाइवम लिन.	चन्द्रशूर	14406.26
38	मुकुना प्रुरीटा लिन.	काँच	11712.8
39	ओसिमम सेन्कटम लिन.	तुलसी	17569.2
40	फाइलेन्थस ऐमेरस शुम एवं थॉन	भूमिअमलकी	16105.1
41	पाइपर लोन्गम लिन.	पीपली	36602.5
42	प्लेनटागो ओवेटा	ईसबगोल	14113.44
43	सोरेलिया कोरियलीफोलिया एल..	बाकूची	8784.6
44	रूबीया कोरडीफोलिया लिन.	मंजीष्ठा	58564
45	साइडा कोरडीफोलिया	पलानल वीड	14055.36
46	सोलेनम अन्गुई	कथेली-बडी	1422.96
47	सोलेनम नाइग्रम लिन.	मकोय	14641
48	स्टीविया रेबीयुडिआना	मधुकरी	183012.5
49	टेफरोसीया परप्पूरीया पर्स	पावड, धमसिया, कलिका, प्लीहारी, शरापंखा, परपल टेफरोसिया, वाइल्ड, इंडिगो, एम्पाली	14523.63
50	टर्मीनेलिया अर्जुना (रॉक्सबी.) वेट एंड अर्न	अर्जुन	26353.8
51	टर्मीनेलिया बलेरीका गेयर्टन	बहेड़ा	23425.6
52	टर्मीनेलिया चेबुला रेड्स.	हरड़	23425.6
53	टीनोस्पोरा कोरडीफोलिया मियर्स	गिलोय	16105.1
54	विटेक्स नीगेन्डो	निर्गुण्डी	14641
55	वीथेनिया सोमनीफेरा (लिन.) दुनाल	अश्वगंधा	14641

### 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित पौधे

56	अकेसिया कटेचू वी	कत्था	10424.15
57	ईगल मारमीलोस (लिन.) कोर.	बेल	23425.6
58	अलबीजिया लीबेक बेंथ	शिरिष	21961.5
59	अल्सटोनिया स्कोलेरिस आर.बर.	सतबिन, सप्तपर्णा	19530.61
60	अट्रोपा बेलाडोना	एट्रोपा	36602.5
61	क्रैओविया नरवाला-हेम.	वरुण	10424.15
62	डेसमोडियम गेंगेटिकम	सरिवन	26353.8
63	ग्लोरीओसा सुपरबा लिन.	कलिहारी	80525.5
64	गलाइसिराइजा ग्लेबरा लिन.	लिकोरस रूट्स, मूलेठी	58564
65	मलाइयना अरबोरिया लिन.	गंभारी	26353.8
66	हिफोफी रहमेनोइडिस लिन.	सीबकथोर्न	29282
67	इन्धूला रेसीमोसा एचके.एफ.	पुष्करमूल	22136.95
68	लेपटेडिनीया रेटीकूलेटा (रेट्ज) वेट एंड अर्न	जिवन्ती	36602.5
69	मेसुआ फेरिया लिन.	नागकेसर	10424.15
70	प्लमबागो जेलेनिका लिन.	चित्रक	17569.2
71	प्यूरिया अयूबरोसा डीसी.	विदारीकंद	29282
72	प्रीमना इनटीग्रीफोलिया लिन.	अग्निमंथ	14641
73	अरोकारपर मारसूपीयम रॉक्सब.	बीजासार	32210.2
74	राउलफीयासरपेनटाइना बेंथ एक्स कुर्ज	सर्पगंधा	36602.5
75	ऋयूम इमोडी	अर्च	118592.1
76	सराका असोका (रॉक्सब) डे वाइल्डे	अशोक	36602.5
77	स्माइलेक्स चाइना लिन.	हदारथी (मधु स्नूची), चोब लोखंडी	29282
78	स्टीरियोस्परमम सुवियोलेन्स डी.सी.	पाटला	10775.05
79	टेकोमिला अन्डूलाटा (एस.एम.) सीम.	रोहितक	10424.15
80	यूरिया पिकटा (जेक.) डिसर्व.	प्रश्नपर्णी	24304.06
81	वेलेरियाना वलेची	इंडियन वलेरियन	35138.4
82	जेनीजाइलम अलेटम	तिमूर	17569.2

### 75 प्रतिशत अनुदान सहायता के लिए अनुशंसित पौधे

83	एकोनिटम फेरोक्स वाल./ए.बालफूरी	वत्सनाभ	47101.67
84	एकोनिटम हिअेरोफिल्लम वाल.एक्स रोयल	अतीस	64420.4
85	एकवेलेरिया एगेलोचा रॉक्सब.	अगर	19530.61
86	बरबेरीस एरिसटाटा डीसी.	दारुहल्दी	36602.5
87	कोमिफोरा विधटी (अर्न.) भंडारी	गुगल	93702.4
88	नारडेस्टीकस जटामानसी डीसी.	जटामांसी	118592.1

89	ओरोजाइल्म इंडिकम वेंट.	स्योनाक	26353.8
90	पिकोरोइजा कुरु बेंथ एक्स रोयल	कुटकी	65884.5
91	पोडोफिल्लम हेक्जेनड्रम रोयल.	वनककड़ी, इंडियन पोदोफियालम	58564
92	टेरोकारपस सेन्टेलाइनस	रक्तचन्दन, रेड सेन्डर्स	33088.66
93	सेन्टलम एलबम लिन.	चंदन	28519.7
94	ससुरिया कोसटस सी.बी. क्लर्क	कुठ, कुस्टा	51243.5
95	स्वरीता चिरायता बच-हम	चिरायता, चरायता	48315.3

\* आने वाले वर्षों में बेस लागत मानक में 10% की वृद्धि होगी

## टेबल - II :

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों की सूची			
क्र. संख्या	राज्य का नाम	कार्यान्वयन एजेंसियां / नोडल अधिकारी	दूरभाष नं०
1	आंध्रप्रदेश	ए.पी, औषधीय एवं सुगन्धित पादप, शिवाजीनगर, सिकन्दराबाद-500003	040-27717883, 27714849
2	अरुणाचल प्रदेश	बागवानी निदेशक एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, ईटानगर, चिम्पू-791111	0360-2203220, 2203253
3	असम	बागवानी निदेशक एफ.पी एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, असम, खानापारा, गुवाहाटी-22	0361-2335303
4	बिहार	बागवानी निदेशक एवं मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, पटना-800001	0612-2521776
5	छत्तीसगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मिशन निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	0771-2522056
6	गोवा	राज्य औषधीय पादप बोर्ड, गोवा-403002	0832-2465443, 2465840
7	गुजरात	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात औषधीय पादप बोर्ड, ब्लॉक-19, तृतीय तल, गाँधीनगर, गुजरात	079-23255816, 23255813 / 14 / 17
8	हरियाणा	बागवानी महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पौधा मिशन, उद्यान भवन, पंचकूला, हरियाणा	0172-2582322, 2582589
9	हिमाचल प्रदेश	आयुर्वेद निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद निदेशालय, शिमला-09	0177-2622262, 2623066



10	जम्मू एवं कश्मीर	बागवानी निदेशक एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर क्षेत्र, राजबाग, श्रीनगर	0194-2311484, 0191-2501219
11	झारखण्ड	राज्य मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, रांची-834002 (झारखंड)	0651-2902201
12	कर्नाटक	बागवानी निदेशक, बायोसेंटर, हुलीमावु, बंगलुरु-560076	080-26582784, 26571925
13	केरल	मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, तिरुवन्नतापुरम-695034 (केरल)	0471-2330856, 2330867
14	मध्य प्रदेश	बागवानी निदेशक एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, भोपाल-462004	0755-2578491, 2576960
15	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य बागवानी एवं औषधीय पादप बोर्ड, शाखरसंकुल, शिवाजी नगर, पुणे-411005	020-25530755, 25535441, 25513228, 25534860
16	मणिपुर	निदेशक, बागवानी एवं भूमि संरक्षण, राज्य औषधीय पादप मिशन, इम्फॉल-795001	0385-2451089
17	मेघालय	मुख्य कार्यकारी निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, शिलॉग-793001	0364-2505080
18	मिजोरम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, ऐजवाल-796001	0389-2311637
19	नागालैण्ड	मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, नागालैण्ड बायो-रिसोर्स मिशन, कोहिमा	0370-2270184
20	उड़ीसा	निदेशक, बागवानी एवं मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, बागवानी निदेशालय, भुवनेश्वर-751015	0674-2551831
21	पंजाब	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य औषधीय पादप बोर्ड, मोहाली, चण्डीगढ़	0172-2298010
22	राजस्थान	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, आयुष भवन, जयपुर-302033	0141-2796975, 2796845
23	सिक्किम	बागवानी निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, गंगटोक-737102	03592-231960
24	तमिलनाडू	प्रबंध निदेशक, तमिलनाडू बागवानी विकास एजेंसी, चेन्नई-600005	044-28524643, 28521645, 28544323
25	तेलंगाना	मिशन निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी, तेलंगाना औषधीय पादप बोर्ड, हैदराबाद-500001	040-66364094, 40047795
26	त्रिपुरा	मिशन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्रिपुरा राज्य औषधीय पादप बोर्ड, अगरतला, त्रिपुरा-पश्चिम	0381 2397325



27	उत्तराखंड	मिशन निदेशक, राज्य औषधीय पादप मिशन, हर्बल रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट इन्स्टीट्यूट, मंडल-गोपेश्वर, जिला-चमोली, उत्तराखंड-246401	01372-254210
28	उत्तर प्रदेश	निदेशक, बागवानी एवं मिशन निदेशक, लखनऊ-22600	0522-4044414, 2623277
29	पश्चिमबंगाल	निदेशक, पश्चिम बंगाल राज्य औषधीय पादप बोर्ड, कोलकाता-700006	033-23607014
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	निदेशक (कृषि एवं बागवानी), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सघ राज्य क्षेत्र, पोर्टब्लेयर	03192-233257
31	लक्षद्वीप	निदेशक (कृषि), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कावारत्ती-682555, लक्षद्वीप	04896-262483 / 262018 / 262246, 262952
32	नईदिल्ली	संयुक्त निदेशक (कृषि) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-110002	011-23713399
33	पुडुचेरी	कृषि निदेशक, पाण्डेचेरी-605001	0413-2336945
24	दादर एवं नगर हवेली	कृषि निदेशक, दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र, दमन	02639-254856

टेबल - III :

### पौधशालाओं और कृषि हेतु सहायता के मानदंड

क्र. सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय सहायता
1	पौधशाला		
	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र		
	i) आदर्श पौधशाला (4 हैक्टे.)	25 लाख रुपए	अधिकतम 25 लाख रुपए
	ii) लघु पौधशाला (1 हैक्टे.)	6.25 लाख रुपए	अधिकतम 6.25 लाख रुपए
	ख) निजी क्षेत्र (प्रारंभ में प्रायोगिक आधार पर)		
	i) आदर्श पौधशाला (4 हैक्टे.)	25 लाख रुपए	लागत का 50 प्रतिशत परंतु 12.50 लाख रुपए तक सीमित
	ii) लघु पौधशाला (1 हैक्टे.)	6.25 लाख रुपए	लागत का 50 प्रतिशत परंतु 3.125 लाख रुपए तक सीमित
2	कृषि		
	i) वे प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं और जिनकी आयुष उद्योग में अत्यधिक मांग है	संलग्नक- I के अनुसार	कृषि लागत का 75 प्रतिशत

ii) ये प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं और जिनकी आपूर्ति स्रोत घट रहें हैं।	संलग्नक- I के अनुसार	कृषि लागत का 50 प्रतिशत
iii) अन्य प्रजातियां जिनकी मांग आयुष उद्योग और निर्यात हेतु है	संलग्नक- I के अनुसार	कृषि लागत का 30 प्रतिशत
iv) संदर्शी भूखण्ड	—	जिन प्रजातियों की कृषि की गई और अवसंरचना सृजित की गई, उन पर निर्भर करते हुए परियोजना पर आधारित जो न्यूनतम 2 एकड़ के प्रति प्लॉट 10.00 लाख रूपए तक सीमित है।
v) बीज/जर्मप्लाज्म केंद्रों की स्थापना	—	25 लाख रूपए/केंद्र

टेबल - IV :

फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं मूल्यबर्धन तथा समर्थन हेतु सहायता के मानदंड			
क्र. सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय सहायता
<b>1. फसलोपरांत प्रबंधन</b>			
i)	सुखाने के शेड	10 लाख रूपए	सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 100% सहायता और स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/निजी क्षेत्र हेतु 50%
ii)	भंडारण गोदाम	10 लाख रूपए	सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 100% सहायता और स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं/निजी क्षेत्र हेतु 50%
<b>2. प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन</b>			
i)	प्रसंस्करण एकांश	400 लाख रूपए	सरकारी/अर्ध-सरकारी/के मामले में 100% किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में प्रति एकांश 400 लाख रूपए तक सीमित
ii)	विपणन अवसंरचना	ग्रामीण संग्रहण केंद्र हेतु 10.00 लाख रूपए जिला संग्रहण केंद्र हेतु 200 लाख रूपए	परियोजना पर आधारित। सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता निजी क्षेत्र/स्व-सहायता दलों/सहकारिताओं को 50% सहायता।
iii)	जैव/जीएपी प्रमाणन	50 हैक्ट. हेतु 5 लाख रूपए	जैव/जीएपी कृषि के लिए लागत के 50% तक सहायता जो अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रति हैक्टेयर 10,000 रूपए तक सीमित होगी। 3 वर्ष की अवधि में लाभ भोगियों को दी जायेगी। प्रमाणन के लिए 50 हैक्टेयर के लिए 5.00 लाख रूपए दिए जाएंगे।





## राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय तल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

आई.एन.ए., नई दिल्ली – 110023

दूरभाष: 011-24651825 | फ़ैक्स : 011-24651827

ईमेल : [info-nmpb@nic.in](mailto:info-nmpb@nic.in) | वेबसाइट : [www.nmpb.nic.in](http://www.nmpb.nic.in)